

Madhya Pradesh  
Agriculture Marketing Board

26, Kisan Bhawan, Arera Hills, Bhopal- 462004

Website: [www.mandiboard.gov.in](http://www.mandiboard.gov.in)

e-Mail: - [enammpsamb@gmail.com](mailto:enammpsamb@gmail.com)

Tel: - 0755-2554076

S.No./Board/e-NAM/2020-21/e-4 (Part-3)/ 506

Bhopal, Date: - 11/12/2020

To,

Director,  
Small Farmers' Agribusiness Consortium,  
5<sup>th</sup> Floor, NCUI Auditorium Building,  
August Kranti Marg, Hauz Khas,  
New Delhi-110006.

Subject: - Regarding the notification issued regarding the rate of Mandi fee.  
Reference: Official Gazette notification No. 463 Bhopal, dated 27 November 2020.

With reference to official gazette notification No. 463 Bhopal, dated 27 November, 2020 issued by the state government of Madhya Pradesh regarding the Mandi fee which has been fixed from Rs. 1.50 to Rs 0.50 from 14<sup>th</sup> November, 2020. A copy of the notification has been provided to you for information and for necessary changes on e-NAM portal.

Kindly give directions to the related officials for necessary action.

**Attachments: - As mentioned above.**

  
10.12.20  
Managing Director

M.P. State Agriculture Marketing Board,  
Bhopal.

Bhopal, Date: - 11/12/2020

S.No./Board/e-NAM/2020-21/e-4 (Part-3)/ 507

CC to: -

1. Joint secretary, Government of India, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare  
Department of Agriculture, Cooperation and Farmer welfare, New Delhi.
2. Shri Manoj Kumar Regional head DMI Zone-2 M.P.Nagar Bhopal.
3. Shri Arvind Sharma Project Manager NFCL New Delhi and Shri Manish Kumar Badal State  
Coordinator NFCL Bhopal.

**Attachments: - As mentioned above.**

  
10.12.20  
Managing Director

M.P. State Agriculture Marketing Board,  
Bhopal.

म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

बोर्ड/नियमन/आय-आवक/ 724  
प्रति

भोपाल दिनांक 28.11.2020

संयुक्त/ उप संचालक  
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
आंचलिक कार्यालय - ..... (समस्त)

विषय - मंडी शुल्क की दर के संबंध में जारी अधिसूचना के संबंध में ।

राज्य शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा दिनांक 14 नवम्बर 2020 से मंडी शुल्क की दर रूपये 1.50 के स्थान पर रूपये 0.50 जाने के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 27 नवम्बर 2020 की प्रति संलग्न है।

कृपया आपके अधीनस्थ मंडियों में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

संलग्न - अधिसूचना दिनांक 27 नवम्बर 2020.

 28.11.20

प्रबंध संचालक

म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

भोपाल दिनांक 28.11.2020

बोर्ड/नियमन/आय-आवक/ 725  
प्रतिलिपि

1. चीफ प्रोग्रामर, म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल। उक्त अधिसूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करावें तथा ई-अनुज्ञा पोर्टल पर मंडी शुल्क की दर को अपडेट करने की शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करें।

 28.11.20

प्रबंध संचालक

म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 463 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 नवम्बर 2020—अग्रहायण 6, शक 1942

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2020

क्र. डी-15-63-18-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 14 नवम्बर 2020 से दिनांक 14 फरवरी 2021 तक अधिसूचित कृषि उपजों की कीमत के प्रत्येक 100/- रुपये पर वर्तमान मंडी फीस रुपये 1.50/- के स्थान पर रुपये 0.50/- नियत करती है.

यह आदेश दिनांक 14 नवम्बर 2020 से लागू होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजीत केसरी, प्रमुख सचिव.